भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3592

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के पदों का बैकलॉग

3592. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास शिक्षा मंत्रालय के अधीन सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों की वर्तमान स्थिति का आंकड़ा उपलब्ध है;

(ख) यदि हाँ, तो संस्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए कोई प्रस्ताव है अथवा सरकार का विचार इस उद्देश्य से कोई समयबद्ध विशेष भर्ती अभियान प्रारंभ करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत् प्रक्रिया है। यह रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नई संस्थाओं, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या और मौजूदा संस्थानों में क्षमता के विस्तार के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश में अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं।

सरकार ने दिनांक 09.07.2019 को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया ताकि इन सीएचईआई में शिक्षक संवर्ग के लिए अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्तियों में पदों के आरक्षण प्रदान किया जा सके। उक्त अधिनियम के अनुसरण में दिनांक 12.7.2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार, शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण प्रदान किया गया है।

अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों (सीएचईआई) से अपने संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया गया था। सीएचईआई ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सहित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने भी सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए प्रोत्साहित किया था। अक्टूबर 2025 में, सभी सीएचईआई से फिर से मिशन मोड में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया गया है। सितंबर 2022 से, सभी सीएचईआई ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। दिनांक 23.05.2026 (अर्थात् पिछले रोजगार मेले की तारीख) तक, मिशन मोड में 18757 संकाय पदों (2315 एससी, 910 एसटी, 3986 ओबीसी) सहित सभी सीएचआई द्वारा कुल 32114 पदों (3851 एससी, 1643 एसटी, 6785 ओबीसी) को भरा गया है।
